

न्यायालय जिला कलेक्टर मंगापूर सिटी

पीठाधीन अधिकारी डॉ० गौरव सीनी

अपील संख्या 10/24

तारीख रज्जू- 13/05/24

1. वल्लू पुत्र धैरू जाति मूजरान विवाशी फरारापुर तहसील मंगापूर सिटी।
2. हरिसिंह पुत्र सरिला जाति मूजरान विवाशी फरारापुर तहसील मंगापूर सिटी।
3. रामराज पुत्र सरिला जाति मूजरान विवाशी फरारापुर तहसील मंगापूर सिटी।

-अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार मंगापूर सिटी ।

-रज्जूद्वारा

निर्णय

दिनांक 25/5/2024

अपीलार्थी ने सह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मंगापूर सिटी द्वारा गिराल संख्या 89/2023 में पारित निर्णय दिनांक 12/03/2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम फरारापुर के आराजी खंनॉ 147 रकबा 0.38 है० किरम गै०मु०जाव 3 चाही 3 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्धदण्ड स्वरूप शारित आरोपित करने के दण्ड से एवं शिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलार्थीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 विवाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 विवाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात् उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रुयेदाद गिराल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में सह भी तर्क दिया कि आराजी खंनॉ 147 कुल रकबा 0.38 है० किरम गै०मु०जाव 3 चाही 3 वाके ग्राम फरारापुर में है जिसकी वर्तमान में खातेदाशे मन्दिर श्री मंगाली के नाम हाल रिकार्ड में दर्ज है एवं उक्त भूमि सरकारी भूमि नहीं है। मन्दिर की खातेदाशे की भूमि है जिसको हल्का पटवारी ने गैर मुमकिन किरम गै०मु०जाव 3 चाही 3 दर्ज बतलाकर मेहूँ व शरशों की फसल काशत करना बताया है। उक्त वाद आराजीयात के संबंध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर मंगापूर सिटी के मु०नॉ 219/04 उभय पक्षों के मूर्ति मन्दिर श्री मंगाली बनाम विरंजी वगै० चला था। जिसमें दिनांक 30/03/2024



*J. S. J.*  
30/5/24

जिला कलेक्टर  
मंगापूर सिटी (राज०)

2009 को निर्णय पारित किया जा चुका है। उक्त दावे में उक्त भूमि रिसीवर में थी लेकिन उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी ने उक्त भूमि को रिसीवर से वागुजास्त करने का आदेश नहीं दिया है तथा अपने आदेश में केवल प्रतिवादीगण को वेदखल कर स्थायी निपेधाज्ञा से पावन्द करने का आदेश दिया है तथा यह भी हवाला नहीं दिया है कि उक्त भूमि 13.10.2023 तक रिसीवर के कब्जेराज में मानकार पक्षकारान को 13.10.2023 को उक्त भूमि नीलाम करने का नोटिस दिया गया लेकिन नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी ने कानूनी प्रावधानों को ताक में रखकर अदालत उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के आदेश के अनुसार वेदखली की कार्यवाही नहीं कर अवैध रूप से अपीलान्ट को धारा 91 लेण्ड रेवन्यु एक्ट का नोटिस जारी कर दिया जबकि खातेदारी भूमि पर 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी में दावा डिक्री होने के बाद जो इजराय विचाराधीन है उसके अनुसार ही वेदखली की कार्यवाही करना आवश्यक था इसलिये अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून निरस्त होने योग्य है।

वकील अपीलार्थी ने दौराने वहस यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट पश्चातवृति अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आते है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा निलामी कार्यवाही करने के लिये उक्त भूमि रिसीवर के कब्जे में मानकर दिनांक 13.10.23 को उक्त भूमि निलाम करने की कार्यवाही करने बावत् नोटिस जारी किया गया । उक्त नोटिस के अनुसार 13.10.2023 के बाद केवल एक फसल पैदा हो सकती है एवं दो फसल पैदा नहीं हो सकती, साथ ही अदिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई वहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने वहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अपीलार्थी द्वारा सम्बत् 2079 में भी उक्त वाद आराजीयात पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को मौके से वेदखल भी किया गया था। अपीलार्थी बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलार्थी द्वारा वर्तमान मौका रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त वाद आराजीयात पर वाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया हुआ है। यदि अपीलार्थी की राजा माफ की जाती है तो अन्य लोगों को भी अतिक्रमण करने में बढ़ावा मिलेगा, साथ ही परोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

दोनों पक्षों की वहस सुनने, उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी




*[Handwritten signature]*  
30/11/24

को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिवारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपने बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। तहसीलदार मंगापूर सिटी के पत्रांक 138 दिनांक 22.07.2024 द्वारा संलग्न पटवारी हल्का से प्राप्त नवीनतम गौका रिपोर्ट दिनांक 18/07/2024 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद आराजीयात खं0नं0 147 कुल रकबा 0.38 है0 ग्राम फरसपुर में वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा बाजरा की फसल काशत करना अवगत कराया है, जबकि उक्त वाद आराजीयात भूमि रिसीवरी में है तथा मंदिर माफी भूमि की श्रेणी में आती है। वकील अपीलार्थी ने दौराने बहरा यह भी अवगत कराया है कि मन्दिर माफी की भूमि पर 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। लेकिन वकील अपीलार्थी द्वारा अपने कथन को सिद्ध करने हेतु कोई तथ्य/साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिती में अदालत मातहत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट अरवीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.03.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ० गौरव रौनी)  
जिला कलक्टर  
मंगापूर सिटी  
जिला कलक्टर  
मंगापूर सिटी (सज०)